

FORM NO. III

फर्द अहकम

(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

बिजौलियां



सरकार

बनाम

किरम मुकदमा 111-128

नम्बर

79 सन 2020

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 21/12/2020 | <p>प्रार्थना पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण की तलबी जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र भेज की जावें। पत्रावली वास्ते तलबी/जवाब दिनांक 20.01.2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां </p> | |
| 21.01.21 | <p>दिनांक 20.01.2021 को राज्यीय आबकाश देने से पत्रावली आज पेश हुई। आउपीगणों की तामिले जाए हुई जो शामिल पत्रावली है। आउपीगणों में शामिल पार्टिस किए जाते हैं, आउपी आधिकारता की एक पत्रावली सुनी गयी पत्रावली का अवलोकन किया गया।</p> <p>अतः प्रार्थना पत्र घाटा 111/128 र-बीकाट किया जाता है। निर्णय पृष्ठाक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैलल गुमाए डेफ्ट नम्बर से करे है।</p> <p style="text-align: right;">  उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जि-भीलवाहा </p> | |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या :- 79/2020

तारीख दायर

1. बालिया पुत्र किशन जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....प्रार्थी

बनाम्

1. प्रभु पिता होक्मा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
2. शंकर पिता होक्मा जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
3. नाथु पिता रतना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)
4. शम्भु पिता धन्ना जाति रेगर उम्र वयस्क निवासी पचानपुरा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज0)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा0ले0रे0एक्ट

--: आदेश :-

दिनांक 21.1.2021

प्रार्थना पत्र कजोड़, बालु ने जरिये अभिभाषक श्री एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 114 पर अंकित आराजी संख्या 311 रकबा 1.3112 हेक्टर भूमि स्थित है विपक्षी आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार/गैर खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडता है। भू-अभिलेख निरीक्षक को पत्थरगढी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढी कमिश्नर फीस /- रुपये तय किये जाते हैं। प्रार्थी वक्त पत्थरगढी फीस अदा करेगा।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेकार्ड एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा ग्राम पचानपुरा पटवार हल्का चान्दजी की खेडी तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 114 पर अंकित आराजी संख्या 311 रकबा 1.3112 हेक्टर भूमि की बशमलात पड़ौसियान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100 /- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कस हो।

आदेश सुनाया गया



उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा